फा.सं. 12/4/2020-जेसीए

भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) स्थापना (जेसीए) अनुभाग

> नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दिनांक: 11 अप्रैल, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: दिनांक 14 अप्रैल, 2023 को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के जन्मदिवस पर अवकाश की घोषणा।

परक़ाम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के जन्मदिवस के अवसर पर 14 अप्रैल, 2023 (शुक्रवार) को संपूर्ण भारत वर्ष में औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में अवकाश घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

 भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपर्युक्त निर्णय को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

えいはうう

(शीतांशु मोहन राउतराय) उप सचिव, भारत सरकार दूरभाष: 23093180

सेवा में,

- 1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
- 2. संघ लोक सेवा आयोग/केंद्रीय सतर्कता आयोग/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक/राष्ट्रीय भाषाई अल्पसंख्यक आयोग/राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग/राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण/राष्ट्रीय सूचना आयोग/प्रधान मंत्री कार्यालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/भारतीय चुनाव आयोग/राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग/राष्ट्रीय महिला आयोग/राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग/नीति आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय।
- 3. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग।
- कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्तशासी निकाय।
- सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियां)
- भारतीय रिजर्व बैंक, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली।
- 7. अध्यक्ष/सचिव, केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण समन्वय समितियां।
- 8. पीआईओ, पीआईबी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि इसका आवश्यक https://www.staffnews.in प्रचार किया जाए।